

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स
 Telefax
 वेबसाइट
 Website
 ई-मेल
 E-Mail

+91-135- 2744064, 2743331
www.surveyofindia.gov.in
 sgo.e1.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय

Office of the Surveyor General of India
 हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं-37
 Hathibarkala Estate, Post Box No. 37
 देहरादून-248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
 DEHRA DUN-248 001 (Uttarakhand), India

सं.नो.स्था.1- 5716 /1466-रूल्स

दिनांक: 05 अगस्त August, 2020

सेवा में

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान/ मध्य क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र।


निदेशक: पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ जी.डी.सी./ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ बिहार जी.डी.सी./ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी./ महाराष्ट्र एवं गोआ जी.डी.सी./ अंतर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ कर्नाटक जी.डी.सी./ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ झारखण्ड जी.डी.सी./ मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./ आसाम एवं नागालैंड जी.डी.सी./ उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ.प्र. जी.डी.सी./ ज्योतीय एवं अनुसंधान शाखा/ छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./ तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी./ मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/ उडीसा जी.डी.सी./ सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली जी.डी.सी./ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय/ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम जी.डी.सी./ जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी./ गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./ अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ केरल एवं लक्ष्मीप जी.डी.सी./ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग।

प्रभारी: आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी.डी.सी. (विशाखापत्तम विंग)

स्थापना एवं लेखा अधिकारी (प्रशासन), म.स.का.

विषय: Transfer Policy 2015 for Group 'B' & 'C' Officers/ Staff of Survey of India.

A Board has been constituted to holistically review the subject transfer policy in the Chairmanship of Shri R.K. Nigam, Additional Surveyor General, Western Zone, Survey of India, Jaipur. In this regard it is requested to forward comments on shortcomings/drawbacks or any other suggestions on the existing policy directly to the Chairman of the Board by 20.08.2020. The Board will carry out required amendments as deemed fit and will prepare a final Draft Policy.


 (अरिन्दम गुप्ता)
 कर्नल
 उप महासर्वेक्षक
 कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. श्री आर.के. निगम, अपर महासर्वेक्षक, पश्चिमी क्षेत्र (अध्यक्ष)।
2. श्री एम.सी. गौर, निदेशक, राजस्थान जी.डी.सी. (सदस्य)।
3. श्री रविन्द्र कुमार, उप महासर्वेक्षक, पश्चिमी क्षेत्र (सदस्य)।
4. अपर महासर्वेक्षक, मुख्यालय (म.स.का.)।
5. उप महासर्वेक्षक, प्रशा./ निदेशक, प्रशासन एवं वित्त / उप महासर्वेक्षक (मानव संसाधन)/ उप महासर्वेक्षक (सतर्कता)/ उप महासर्वेक्षक (तकनीकी)/ उप महासर्वेक्षक (कार्य अच्छयन), महासर्वेक्षक का कार्यालय।
6. प्रभारी, जे.सी.एम. (म.स.का.) को 'बी' एवं 'सी' कार्मिकों के एसोशिएसन/यूनियन के संबंध में उपर्युक्त अनुसार समरूप कार्यवाही हेतु।
7. Admin, Website (SOI)/Admin, eOffice(SOI) – वैबसाइट/ई-ऑफिस पर प्रदर्शित करने हेतु।